न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या–130/2024

जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2024/151

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट्स**
केशर पुत्री स्वर्गीय भीखराम पत्नी श्री नारायणराम जाति–नायक, निवासी–अलाय,तहसील व जिला नागौर (राज.)		1. नथूराम पुत्र चन्दूराम,जाति –नायक 2. बीरबल राम पुत्र चन्दूराम,जाति–नायक निवासी–अलाय,तहसील व जिला–नागौर 3. सोनाराम नायक पुत्र लिछाराम नायक जाति–नायक,नायकों की ढाणी सुखवासी तहसील व जिला–नागौर । 4. गोपालराम पुत्र सुखाराम,जाति–नायक निवासी–कुकणा की ढाणियां पाडाणरोड अलाय,तहसील व जिला–नागौर । 5. तहसीलदार,नागौर ।

उपस्थिति :–

1. **अपीलान्ट की ओर से वकील श्रीमती संतोष भाटी।**
2. **रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री श्याम कुमार व्यास ।**
3. **रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री रामदेव सिंवर।**
4. **रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से राजपेरोकार ।**

:: निर्णय ::

दिनांक :–27.03.2025

1– अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान–भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मौजा अलाय का नामान्तरकरण संख्या 545 जो तहसीलदार,नागौर द्वारा स्वीकृत आदेश दिनांक 25.02.2022 से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 10.07.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

2– वकील अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील को मियाद में लिये जाने हेतु अपील के साथ अपील मियाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है। मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम अलाय तहसील व जिला नागौर के खसरा नम्बर 1730 अपीलांट की पुस्तैनी भूमि है,उक्त खेत का कब्जा अपीलांट के पास है। रेस्पोडेन्ट ने धोखे में नामान्तरण दर्ज करवाया हैं। अपीलांट अनपढ़ होने के कारण राजस्व रेकर्ड की जानकारी इतने दिन नहीं कर सकी हैं। इस हेतु अपीलांट ने अभिभाषक से सम्पर्क किया तब उनको इस गलत नामान्तरकरण की जानकारी पहली बार हुई हैं तथा जानकारी से यह अपील अन्दर मयाद पेश की गई । इस प्रकार अपीलांट की जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद पेश की गई हैं। देरीना माफ करने के लिए आवेदन पत्र मय शपथ पत्र अपीलांट का पेश किया गया हैं। अतः निवेदन हैं कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी माफ किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 का बहस में कथन हैं कि अपीलीय नामान्तरण दिनांक 25.02.2022 को स्वीकृत हुआ हैं,जबकि अपील दिनांक 10.07.2024 को पेश हुई हैं। इस प्रकार अपील दो

कलक्टर नागौर

वर्ष 05 माह विलम्ब से पेश की गई हैं। अपीलांट ने अपील विलम्ब से पेश करने का कोई पर्याप्त कारण अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित नहीं किया हैं। केवल मात्र कथन करने से अपील को अन्दर मयाद नहीं माना जा सकता हैं। देरीना का प्रत्येक दिन का कारण दर्शित करते हुवे माननीय न्यायालय से माफी डिले करवायी जा सकती हैं,परन्तु इस प्रार्थना–पत्र में किसी प्रकार की जानकारी की तिथि का अंकन नहीं हैं। इसलिए अपील अपीलांट मयाद बाहर होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र के साथ अपीलांट के पेश किये गये शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुवे न्यायहित में अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार की जाती हैं।

3– मूल अपील पर वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि अपीलान्ट के पिता भीखाराम की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा आराजी मौजा धुधंवालों की ढाणी में खेत खसरा नम्बर 1730 रकबा 3.8445 हैक्टर किस्म बाराणी प्रथम आयी हुई थी। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट के पिता को धोखे में लेकर इस जमीन की बेचान रजिस्ट्री अपने नाम करवाकर इस भूमि का आगे बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को कर दिया हैं। इस गलत बेचान रजिस्ट्री के आधार पर तहसीलदार,नागौर ने इस जमीन का नामान्तरण संख्या 545 रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के नाम स्वीकृत कर दिया,जबकि मौके पर उक्त जमीन का कब्जा अपीलांट के पास ही हैं। अपीलाधीन नामान्तरण के आधार पर खसरा नम्बर 2342 / 1730 रकबा 0.2428 हैक्टयर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सोनाराम नायक पुत्र लिछाराम नायक जाति नायक निवासी नायकों की ढाणी सुखवासी के नाम एवं ख.न. 2341 / 1730 रकबा 0.2428 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 गोपालराम पुत्र सुखाराम जाति–नायक, निवासी–कुकणों की ढाणी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई हैं। इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही से अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे हैं। यह भूमि अपीलांट की पिता की आराजी हैं तथा पिता की सेवा चाकरी भी अपीलांट ने की हैं तथा इस जमीन पर कब्जा भी अपीलांट का ही हैं। इसलिए निवेदन हैं कि तहसीलदार,नागौर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 545 में पारित विधिविरूद्व आदेश दिनांक 25.02.2022 को निरस्त किया जावें तथा इस जमीन की खातेदारी की पूर्व की स्थिति बहाल की जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का दौराने बहस कथन हैं कि खेत खसरा नम्बर 1730 रकबा 3.8445 है0 व खसरा नम्बर 1730 / 1967 रकबा 1.9182 हमारी कय सुदा खातेदारी की भूमि 1 / 2,1 / 2 हिस्से अनुसार हैं तथा खसरा नम्बर 1730 / 1967 में से 0.2428 है0 हमारे द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को एवं रकबा 0.2428 है0 रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को विकय की गई हैं,जिनका खसरा नम्बर 2342 / 1730 सोनाराम के नाम एवं खसरा नम्बर 2341 / 1730 गोपालराम के नाम दर्ज हुआ हैं। इस खसरा नम्बर 1730 / 1967 की बकाया भूमि खसरा नम्बर 2343 / 1730 क्षेत्रफल 1.4326 है0 हमारी सहखातेदारी में 1 / 2,1 / 2 हिस्से अनुसार दर्ज हैं। इस प्रकार तहसीलदार,नागौर द्वारा स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण संख्या 545 विधिवत् स्वीकृत किया गया हैं,जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 का दौराने बहस कथन हैं कि खसरा नम्बर 2342 / 1730 एवं खसरा नम्बर 2341 / 1730 हमारी द्वारा कय सुदा आराजी हैं तथा इस कय सुदा भूमि का नामान्तरकरण हमारे पक्ष में स्वीकृत किया गया हैं,जो विधिवत् होने से अपील अपीलांट खारिज की जावें। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट का यह भी कथन हैं कि खसरा नम्बर 2341 / 1730 का हमारे द्वारा

(राजस्थान)

कलक्टर नागौर

तहसीलदार,नागौर से आवासीय भूमि रूपान्तरण भी करवा लिया हैं,इसलिए अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज फरमायी जावें।

राजपेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि तहसीलदार,नागौर द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर यह अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत किया हैं,जो विधि अनुरूप हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामातंरकरण संख्या 545 के कॉलम संख्या 2 में खसरा नम्बर 1730 क्षेत्रफल 3.8445 है0,खसरा नम्बर 1730 / 1967 क्षेत्रफल 1.9182 है0 दर्ज हैं तथा कॉलम संख्या 6 में (1) नत्थूराम पुत्र चन्दूराम हिस्सा 1/2 जाति–नायक सा.अलाय खातेदार (2) बीरबल पुत्र चन्दूराम हिस्सा 1/2 जाति–नायक सा.अलाय खातेदार दर्ज हैं। कॉलम संख्या 8 व 9,10 में (1)नत्थूराम पुत्र चन्दूराम हिस्सा 1/2 जाति–नायक,सा.अलाय खातेदार (2) बीरबल पुत्र चन्दूराम हिस्सा 1/2 जाति–नायक सा. अलाय खातेदार खसरा नम्बर 2343 / 1730 क्षेत्रफल 1.4326 दर्ज हैं एवं बदस्तूर खसरा अंकित हैं। इसके नीचे खाता संख्या 335 में (1) सोनाराम नायक पुत्र लिछाराम नायक हिस्सा पूर्ण जाति–नायक सा. नायको की ढाणी सुखवासी खातेदारी खसरा नम्बर 2342 / 1730 क्षेत्रफल 0.2428 एवं खाता संख्या 336 (1)गोपालराम पुत्र सुखाराम हिस्सा पूर्ण जाति–नायक सा. कुकणा की ढाणीया पाडाणरोड़ अलाय खातेदार तथा खसरा नम्बर 2341 / 1730 क्षेत्रफल 0.2428 दर्ज हैं। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि माफिक पंजीबद्व विक्रय–पत्र के दिनांक 03.01.2022 क्रम संख्या 202203099100027 व 99100024 के माफिक नामा0दर्ज कर वास्ते जांच पेश हैं। भू0अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में पंजीबद्व दस्तावेज के अनुसार अंकन सही पाया हैं,अंकित किया तथा तहसीलदार, नागौर ने दिनांक 25.02.2022 को इस नामान्तरकरण पर स्वीकृत का आदेश दिया हैं।

उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 545 के अवलोकन से प्रथम में तो इस नामान्तरकरण में अपीलांट पक्षकार नहीं हैं,इसलिए अपील दायर से पूर्व न्यायालय से अनुमति हेतु उनको आवेदन पेश करना चाहिऐ था परन्तु अपीलांट द्वारा इस आशय का कोई आवेदन पेश नहीं किया गया हैं,जिससे प्रथम दृष्टया अपीलांट को यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं हैं। द्वितिय में मूल अपील में खसरा नमबर 1730 रकबा 3.8445 का अंकन करते हुवे इस खसरा नम्बर के हुवे बेचान को इस अपील में चुनौती दी गई हैं,जबकि नामान्तरकरण संख्या 545 के अवलोकन से खसरा नम्बर 1730 / 1967 के सम्बन्ध में यह नामान्तरकरण संख्या 545 दर्ज होकर स्वीकृत हुआ हैं। तृतीय में नामातंरकरण संख्या 545 पंजिबद्व विक्रय पत्र दिनांक 03.01.2022 के आधार पर दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया हैं, जिसमें कोई विधिकत्रूटि इस नामान्तरकरण स्वीकृत आदेश में नहीं पायी जाती हैं,जिससे अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती हैं तथा अपीलाधीन आदेश तहसीलदार,नागौर का दिनांक 25.02.2022 यथावत् रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पुनः लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)